पत्र संख्या–ए/मु0–44–04/2016............................/

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

स्पीड पोस्ट/फैक्स

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

पटना, दिनांक–.............................2016

विषय :– **दिनांक–17.08.2014 को उग्रवादियों द्वारा स्व0 मो0 कलाम अंसारी, पिता–ईस्लाम अंसारी, ग्राम रामनगर, पोस्ट–कर्मा लहंग, थाना–टंडवा, जिला–औरंगाबाद की हत्या के फलस्वरूप उनके आश्रिता पत्नी मोसमात कसीदा खातुन को अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–214/आ0प्र0 दिनांक–14.05.2016 के क्रम में आवंटन।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पदाधिकारी, औरंगाबाद को आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को कुल आवंटित राशि।
शून्य	₹ 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये मात्र।	₹ 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये मात्र।

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि ₹ 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या– N2235602000004) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रित/आश्रिता को अनुग्रह–अनुदान/मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2016–17 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–04/2016............................/ **पटना, दिनांक–................2016**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–04/2016............................/ **पटना, दिनांक–................2016**

स्पीड पोस्ट/ फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद /वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–04/2016............................/ **पटना, दिनांक–................2016**

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–04/2016....5702....../ **पटना, दिनांक–....10-7....2016**

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.06.16

सरकार के विशेष सचिव

45 Suresh Sir Sec-A Allotment